

राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।

सं०सं०- बि०भू०- 98/2019-1411

प्रेषक,

अवर सचिव,
राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।

सेवा में,

श्री नरेश दिक्षित, अधिवक्ता,
पटना उच्च न्यायालय
Plot No.- 100, Jai Prakash Nagar,
Friends Colony, Patna- 800025,
मो०.- 9431019575

पटना, दिनांक- 19-09-2024

विषय:- राजस्व पर्षद द्वारा गठित विद्वान अधिवक्ताओं के पैनल में शामिल किये जाने के संबंध में।

महाशय,

बेतिया राज एवं भूदान यज्ञ समिति के वादों में पैरवी हेतु दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित PR No.- 006083 (B&C) 2024-25 तथा PR No.- 007299 (Board of Revenue) 2024-25 के आलोक में गठित विद्वान अधिवक्ताओं के पैनल में आपको निम्नांकित शर्तों पर शामिल किया गया है:-

1. पर्षद द्वारा गठित अधिवक्ताओं के पैनल से किसी भी अधिवक्ता को आवश्यकतानुसार तथ्य विवरणी तैयार करने/पैरवी करने हेतु कार्य आवंटित किया जा सकता है। इस संबंध में पर्षद का निर्णय अंतिम रूप से मान्य होगा।
2. पैनल के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा बेतिया राज से संबंधित कार्य किये जाने पर बेतिया राज के मद से तथा भूदान के कार्य किये जाने पर भूदान के मद से विधि विभाग द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान किया जाएगा। जिन मामलों में विधि विभाग/वित्त विभाग द्वारा दर निर्धारित नहीं है उन मामलों में राजस्व पर्षद, बिहार द्वारा निर्धारित दर मान्य होगा।
3. विद्वान अधिवक्ता द्वारा कार्य सम्पन्न किये जाने के उपरांत स्वयं या प्रतिनिधि के माध्यम से मासिक स्तर पर विपत्र संबंधित शाखा को उपलब्ध कराया जाएगा।
4. कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर आपका नाम पैनल से हटा दिया जाएगा।

कृपया

विश्वाभाजन

18/9/24

अवर सचिव,

राजस्व पर्षद, बिहार, पटना

19/09/24

राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।

सं०सं०- बि०भू०- 98/2019-1410

प्रेषक,

अवर सचिव,
राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।

सेवा में,

निवेदिता निरविकार,
अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय
पता- Dr. Zakir Hussain, Hartali More,
Bailey Road, Patna-800001
मो०-9582544868, 8877038537

पटना, दिनांक- 19-09-2024

विषय:- राजस्व पर्षद द्वारा गठित विद्वान अधिवक्ताओं के पैनल में शामिल किये जाने के संबंध में।

महाशय,

बेतिया राज एवं भूदान यज्ञ समिति के वादों में पैरवी हेतु दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित PR No.- 006083 (B&C) 2024-25 तथा PR No.- 007299 (Board of Revenue) 2024-25 के आलोक में गठित विद्वान अधिवक्ताओं के पैनल में आपको निम्नांकित शर्तों पर शामिल किया गया है:-

1. पर्षद द्वारा गठित अधिवक्ताओं के पैनल से किसी भी अधिवक्ता को आवश्यकतानुसार तथ्य विवरणी तैयार करने/पैरवी करने हेतु कार्य आवंटित किया जा सकता है। इस संबंध में पर्षद का निर्णय अंतिम रूप से मान्य होगा।
2. पैनल के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा बेतिया राज से संबंधित कार्य किये जाने पर बेतिया राज के मद से तथा भूदान के कार्य किये जाने पर भूदान के मद से विधि विभाग द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान किया जाएगा। जिन मामलों में विधि विभाग/वित्त विभाग द्वारा दर निर्धारित नहीं है उन मामलों में राजस्व पर्षद, बिहार द्वारा निर्धारित दर मान्य होगा।
3. विद्वान अधिवक्ता द्वारा कार्य सम्पन्न किये जाने के उपरांत स्वयं या प्रतिनिधि के माध्यम से मासिक स्तर पर विपत्र संबंधित शाखा को उपलब्ध कराया जाएगा।
4. कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर आपका नाम पैनल से हटा दिया जाएगा।

कृपया

विश्वाभाजन,

18/9/24

अवर सचिव,
राजस्व पर्षद, बिहार, पटना

19/09/24

राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।

सं०सं०- बि०मू०- 98/2019-1409

प्रेषक,

अवर सचिव,
राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।

सेवा में,

विश्वजीत सिंह,
अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय
पता- Resiennce-cum-office- Geeta kunj,
Buddha Colony, Patna-1
मो०-9431421254, 9798115399

पटना, दिनांक- 19-09-2024

विषय:- राजस्व पर्षद द्वारा गठित विद्वान अधिवक्ताओं के पैनल में शामिल किये जाने के संबंध में।

महाशय,

बेतिया राज एवं भूदान यज्ञ समिति के वादों में पैरवी हेतु दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित PR No.- 006083 (B&C) 2024-25 तथा PR No.- 007299 (Board of Revenue) 2024-25 के आलोक में गठित विद्वान अधिवक्ताओं के पैनल में आपको निम्नांकित शर्तों पर शामिल किया गया है:-

1. पर्षद द्वारा गठित अधिवक्ताओं के पैनल से किसी भी अधिवक्ता को आवश्यकतानुसार तथ्य विवरणी तैयार करने/पैरवी करने हेतु कार्य आवंटित किया जा सकता है। इस संबंध में पर्षद का निर्णय अंतिम रूप से मान्य होगा।
2. पैनल के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा बेतिया राज से संबंधित कार्य किये जाने पर बेतिया राज के मद से तथा भूदान के कार्य किये जाने पर भूदान के मद से विधि विभाग द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान किया जाएगा। जिन मामलों में विधि विभाग/वित्त विभाग द्वारा दर निर्धारित नहीं है उन मामलों में राजस्व पर्षद, बिहार द्वारा निर्धारित दर मान्य होगा।
3. विद्वान अधिवक्ता द्वारा कार्य सम्पन्न किये जाने के उपरांत स्वयं या प्रतिनिधि के माध्यम से मासिक स्तर पर विपत्र संबंधित शाखा को उपलब्ध कराया जाएगा।
4. कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर आपका नाम पैनल से हटा दिया जाएगा।

कृपया

विश्वाभाजन,

18/9/24

अवर सचिव,

राजस्व पर्षद, बिहार, पटना

19/09/24

राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।

सं०सं०— बि०मू०— 98/2019— 1408

प्रेषक,

अवर सचिव,
राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।

सेवा में,

जितेन्द्र कुमार राय,
अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय
पता— Near Model ST. Michel School, Kumhar
Gali, Buddha Colony, Patna-800001
मो०—7004266416, 9308377328

पटना, दिनांक— 19-09-2024

विषय:— राजस्व पर्षद द्वारा गठित विद्वान अधिवक्ताओं के पैनल में शामिल किये जाने के संबंध में।

महाशय,

बेतिया राज एवं भूदान यज्ञ समिति के वादों में पैरवी हेतु दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित PR No.- 006083 (B&C) 2024-25 तथा PR No.- 007299 (Board of Revenue) 2024-25 के आलोक में गठित विद्वान अधिवक्ताओं के पैनल में आपको निम्नांकित शर्तों पर शामिल किया गया है:—

1. पर्षद द्वारा गठित अधिवक्ताओं के पैनल से किसी भी अधिवक्ता को आवश्यकतानुसार तथ्य विवरणी तैयार करने/पैरवी करने हेतु कार्य आवंटित किया जा सकता है। इस संबंध में पर्षद का निर्णय अंतिम रूप से मान्य होगा।
2. पैनल के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा बेतिया राज से संबंधित कार्य किये जाने पर बेतिया राज के मद से तथा भूदान के कार्य किये जाने पर भूदान के मद से विधि विभाग द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान किया जाएगा। जिन मामलों में विधि विभाग/वित्त विभाग द्वारा दर निर्धारित नहीं है उन मामलों में राजस्व पर्षद, बिहार द्वारा निर्धारित दर मान्य होगा।
3. विद्वान अधिवक्ता द्वारा कार्य सम्पन्न किये जाने के उपरांत स्वयं या प्रतिनिधि के माध्यम से मासिक स्तर पर विपत्र संबंधित शाखा को उपलब्ध कराया जाएगा।
4. कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर आपका नाम पैनल से हटा दिया जाएगा।

कृपया

विश्वाभाजन,

18/9/24

अवर सचिव,

राजस्व पर्षद, बिहार, पटना

19/09/24

राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।

सं०सं०- बि०भू०- 98/2019-1407

प्रेषक,

अवर सचिव,
राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।

सेवा में,

राकेश मोहन सिंह,
अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय
पता- Singh & Associates, Ground Floor,
Biscoman Tower, West Gandhi Maidan, Patna-1
मो०-6200836144, 9570159421

पटना, दिनांक- 19-09-2024

विषय:- राजस्व पर्षद द्वारा गठित विद्वान अधिवक्ताओं के पैनल में शामिल किये जाने के संबंध में।

महाशय,

बेतिया राज एवं भूदान यज्ञ समिति के वादों में पैरवी हेतु दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित PR No.- 006083 (B&C) 2024-25 तथा PR No.- 007299 (Board of Revenue) 2024-25 के आलोक में गठित विद्वान अधिवक्ताओं के पैनल में आपको निम्नांकित शर्तों पर शामिल किया गया है:-

1. पर्षद द्वारा गठित अधिवक्ताओं के पैनल से किसी भी अधिवक्ता को आवश्यकतानुसार तथ्य विवरणी तैयार करने/पैरवी करने हेतु कार्य आवंटित किया जा सकता है। इस संबंध में पर्षद का निर्णय अंतिम रूप से मान्य होगा।
2. पैनल के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा बेतिया राज से संबंधित कार्य किये जाने पर बेतिया राज के मद से तथा भूदान के कार्य किये जाने पर भूदान के मद से विधि विभाग द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान किया जाएगा। जिन मामलों में विधि विभाग/वित्त विभाग द्वारा दर निर्धारित नहीं है उन मामलों में राजस्व पर्षद, बिहार द्वारा निर्धारित दर मान्य होगा।
3. विद्वान अधिवक्ता द्वारा कार्य सम्पन्न किये जाने के उपरांत स्वयं या प्रतिनिधि के माध्यम से मासिक स्तर पर विपत्र संबंधित शाखा को उपलब्ध कराया जाएगा।
4. कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर आपका नाम पैनल से हटा दिया जाएगा।

कृपया

विश्वाभाजन,

19/9/24

अवर सचिव,

राजस्व पर्षद, बिहार, पटना

19/09/24

राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।

सं०सं०— बि०मू०— 98 / 2019— 1406

प्रेषक,

अवर सचिव,
राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।

सेवा में,

कुमार शंकरम,
अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय
पता— Wadha Chamber, Patna High court
मो०—9386015410

पटना, दिनांक— 19/09/24

विषय:— राजस्व पर्षद द्वारा गठित विद्वान अधिवक्ताओं के पैनल में शामिल किये जाने के संबंध में।

महाशय,

बेतिया राज एवं भूदान यज्ञ समिति के वादों में पैरवी हेतु दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित PR No.- 006083 (B&C) 2024-25 तथा PR No.- 007299 (Board of Revenue) 2024-25 के आलोक में गठित विद्वान अधिवक्ताओं के पैनल में आपको निम्नांकित शर्तों पर शामिल किया गया है:—

1. पर्षद द्वारा गठित अधिवक्ताओं के पैनल से किसी भी अधिवक्ता को आवश्यकतानुसार तथ्य विवरणी तैयार करने/पैरवी करने हेतु कार्य आवंटित किया जा सकता है। इस संबंध में पर्षद का निर्णय अंतिम रूप से मान्य होगा।
2. पैनल के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा बेतिया राज से संबंधित कार्य किये जाने पर बेतिया राज के मद से तथा भूदान के कार्य किये जाने पर भूदान के मद से विधि विभाग द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान किया जाएगा। जिन मामलों में विधि विभाग/वित्त विभाग द्वारा दर निर्धारित नहीं है उन मामलों में राजस्व पर्षद, बिहार द्वारा निर्धारित दर मान्य होगा।
3. विद्वान अधिवक्ता द्वारा कार्य सम्पन्न किये जाने के उपरांत स्वयं या प्रतिनिधि के माध्यम से मासिक स्तर पर विपत्र संबंधित शाखा को उपलब्ध कराया जाएगा।
4. कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर आपका नाम पैनल से हटा दिया जाएगा।

कृपया

विश्वाभाजन,

18/9/24

अवर सचिव,

राजस्व पर्षद, बिहार, पटना

19/09/24

राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।

सं०सं०- बि०मू०- 98 / 2019- 1405

प्रेषक,

अवर सचिव,
राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।

सेवा में,

मयंक मोहन,
अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय
पता- Flat no- 404, Sankalp Enclave, Van Vihar Colony,
Ramnagri, Ashiyana, Patna- 800025
मो०-8210313187

पटना, दिनांक- 19-09-2024

विषय:- राजस्व पर्षद द्वारा गठित विद्वान अधिवक्ताओं के पैनल में शामिल किये जाने के संबंध में।

महाशय,

बेतिया राज एवं भूदान यज्ञ समिति के वादों में पैरवी हेतु दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित PR No.- 006083 (B&C) 2024-25 तथा PR No.- 007299 (Board of Revenue) 2024-25 के आलोक में गठित विद्वान अधिवक्ताओं के पैनल में आपको निम्नांकित शर्तों पर शामिल किया गया है:-

1. पर्षद द्वारा गठित अधिवक्ताओं के पैनल से किसी भी अधिवक्ता को आवश्यकतानुसार तथ्य विवरणी तैयार करने/पैरवी करने हेतु कार्य आवंटित किया जा सकता है। इस संबंध में पर्षद का निर्णय अंतिम रूप से मान्य होगा।
2. पैनल के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा बेतिया राज से संबंधित कार्य किये जाने पर बेतिया राज के मद से तथा भूदान के कार्य किये जाने पर भूदान के मद से विधि विभाग द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान किया जाएगा। जिन मामलों में विधि विभाग/वित्त विभाग द्वारा दर निर्धारित नहीं है उन मामलों में राजस्व पर्षद, बिहार द्वारा निर्धारित दर मान्य होगा।
3. विद्वान अधिवक्ता द्वारा कार्य सम्पन्न किये जाने के उपरांत स्वयं या प्रतिनिधि के माध्यम से मासिक स्तर पर विपत्र संबंधित शाखा को उपलब्ध कराया जाएगा।
4. कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर आपका नाम पैनल से हटा दिया जाएगा।

कृपया

विश्वाभाजन,

19/09/24

अवर सचिव,
राजस्व पर्षद, बिहार, पटना

19/09/24

राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।

सं०सं०- बि०मू०- 98/2019-1404

प्रेषक,

अवर सचिव,
राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।

सेवा में,

राकेश कुमार सिंह,
अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय
पता- Lekha Nagar, behind DAV Public School,
Cantt. Road, Khagaul, patna
मो०-9431473243, 9471058489

पटना, दिनांक- 19-09-2024

विषय:- राजस्व पर्षद द्वारा गठित विद्वान अधिवक्ताओं के पैनल में शामिल किये जाने के संबंध में।

महाशय,

बेतिया राज एवं भूदान यज्ञ समिति के वादों में पैरवी हेतु दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित PR No.- 006083 (B&C) 2024-25 तथा PR No.- 007299 (Board of Revenue) 2024-25 के आलोक में गठित विद्वान अधिवक्ताओं के पैनल में आपको निम्नांकित शर्तों पर शामिल किया गया है:-

1. पर्षद द्वारा गठित अधिवक्ताओं के पैनल से किसी भी अधिवक्ता को आवश्यकतानुसार तथ्य विवरणी तैयार करने/पैरवी करने हेतु कार्य आवंटित किया जा सकता है। इस संबंध में पर्षद का निर्णय अंतिम रूप से मान्य होगा।
2. पैनल के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा बेतिया राज से संबंधित कार्य किये जाने पर बेतिया राज के मद से तथा भूदान के कार्य किये जाने पर भूदान के मद से विधि विभाग द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान किया जाएगा। जिन मामलों में विधि विभाग/वित्त विभाग द्वारा दर निर्धारित नहीं है उन मामलों में राजस्व पर्षद, बिहार द्वारा निर्धारित दर मान्य होगा।
3. विद्वान अधिवक्ता द्वारा कार्य सम्पन्न किये जाने के उपरांत स्वयं या प्रतिनिधि के माध्यम से मासिक स्तर पर विपत्र संबंधित शाखा को उपलब्ध कराया जाएगा।
4. कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर आपका नाम पैनल से हटा दिया जाएगा।

कृपया

विश्वाभाजन,

18/9/24

अवर सचिव,

राजस्व पर्षद, बिहार, पटना

19/09/24

राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।

सं०सं०- बि०मू०- 98/2019-1५०3

प्रेषक,

अवर सचिव,
राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।

सेवा में,

सुरज कुमार सिंह,
अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय
पता- Singh & Associates, Ground Floor,
Biscoman Tower, West Gandhi Maidan, Patna-1
मो०-9304438858, 8935884255

पटना, दिनांक- 1९-०९-२०२५

विषय:- राजस्व पर्षद द्वारा गठित विद्वान अधिवक्ताओं के पैनल में शामिल किये जाने के संबंध में।

महाशय,

बेतिया राज एवं भूदान यज्ञ समिति के वादों में पैरवी हेतु दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित PR No.- 006083 (B&C) 2024-25 तथा PR No.- 007299 (Board of Revenue) 2024-25 के आलोक में गठित विद्वान अधिवक्ताओं के पैनल में आपको निम्नांकित शर्तों पर शामिल किया गया है:-

1. पर्षद द्वारा गठित अधिवक्ताओं के पैनल से किसी भी अधिवक्ता को आवश्यकतानुसार तथ्य विवरणी तैयार करने/पैरवी करने हेतु कार्य आवंटित किया जा सकता है। इस संबंध में पर्षद का निर्णय अंतिम रूप से मान्य होगा।
2. पैनल के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा बेतिया राज से संबंधित कार्य किये जाने पर बेतिया राज के मद से तथा भूदान के कार्य किये जाने पर भूदान के मद से विधि विभाग द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान किया जाएगा। जिन मामलों में विधि विभाग/वित्त विभाग द्वारा दर निर्धारित नहीं है उन मामलों में राजस्व पर्षद, बिहार द्वारा निर्धारित दर मान्य होगा।
3. विद्वान अधिवक्ता द्वारा कार्य सम्पन्न किये जाने के उपरांत स्वयं या प्रतिनिधि के माध्यम से मासिक स्तर पर विपत्र संबंधित शाखा को उपलब्ध कराया जाएगा।
4. कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर आपका नाम पैनल से हटा दिया जाएगा।

कृपया

विश्वाभाजन
१९/०९/२५

अवर सचिव,
राजस्व पर्षद, बिहार, पटना

१९/०९/२५

राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।

सं०सं०- बि०भू०- 98/2019-1402

प्रेषक,

अवर सचिव,
राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।

सेवा में,

रजनी कान्त सिंह,
अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय
पता- Rameshwaram, Tej-Pratap Nagar, New Bypass Road,
Anishabad, Patna-800002
मो०-7766037272

पटना, दिनांक- 19-09-2024

विषय:- राजस्व पर्षद द्वारा गठित विद्वान अधिवक्ताओं के पैनल में शामिल किये जाने के संबंध में।

महाशय,

बेतिया राज एवं भूदान यज्ञ समिति के वादों में पैरवी हेतु दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित PR No.- 006083 (B&C) 2024-25 तथा PR No.- 007299 (Board of Revenue) 2024-25 के आलोक में गठित विद्वान अधिवक्ताओं के पैनल में आपको निम्नांकित शर्तों पर शामिल किया गया है:-

1. पर्षद द्वारा गठित अधिवक्ताओं के पैनल से किसी भी अधिवक्ता को आवश्यकतानुसार तथ्य विवरणी तैयार करने/पैरवी करने हेतु कार्य आवंटित किया जा सकता है। इस संबंध में पर्षद का निर्णय अंतिम रूप से मान्य होगा।
2. पैनल के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा बेतिया राज से संबंधित कार्य किये जाने पर बेतिया राज के मद से तथा भूदान के कार्य किये जाने पर भूदान के मद से विधि विभाग द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान किया जाएगा। जिन मामलों में विधि विभाग/वित्त विभाग द्वारा दर निर्धारित नहीं है उन मामलों में राजस्व पर्षद, बिहार द्वारा निर्धारित दर मान्य होगा।
3. विद्वान अधिवक्ता द्वारा कार्य सम्पन्न किये जाने के उपरांत स्वयं या प्रतिनिधि के माध्यम से मासिक स्तर पर विपत्र संबंधित शाखा को उपलब्ध कराया जाएगा।
4. कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर आपका नाम पैनल से हटा दिया जाएगा।

कृपया

विश्वाभाजन्त्र

18/9/24

अवर सचिव,

राजस्व पर्षद, बिहार, पटना

19/09/24

राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।

सं०सं०- बि०भू०- 98/2019-1401

प्रेषक,

अवर सचिव,
राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।

सेवा में,

आनन्द कुमार तिवारी,
अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय
पता- Jamuna Raj Niwas, K.M. Singh Lane,
East boring Canal Road, Patna-01
मो०-7061000680, 9708200551

पटना, दिनांक- 19-09-2024

विषय:- राजस्व पर्षद द्वारा गठित विद्वान अधिवक्ताओं के पैनल में शामिल किये जाने के संबंध में।

महाशय,

बेतिया राज एवं भूदान यज्ञ समिति के वादों में पैरवी हेतु दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित PR No.- 006083 (B&C) 2024-25 तथा PR No.- 007299 (Board of Revenue) 2024-25 के आलोक में गठित विद्वान अधिवक्ताओं के पैनल में आपको निम्नांकित शर्तों पर शामिल किया गया है:-

1. पर्षद द्वारा गठित अधिवक्ताओं के पैनल से किसी भी अधिवक्ता को आवश्यकतानुसार तथ्य विवरणी तैयार करने/पैरवी करने हेतु कार्य आवंटित किया जा सकता है। इस संबंध में पर्षद का निर्णय अंतिम रूप से मान्य होगा।
2. पैनल के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा बेतिया राज से संबंधित कार्य किये जाने पर बेतिया राज के मद से तथा भूदान के कार्य किये जाने पर भूदान के मद से विधि विभाग द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान किया जाएगा। जिन मामलों में विधि विभाग/वित्त विभाग द्वारा दर निर्धारित नहीं है उन मामलों में राजस्व पर्षद, बिहार द्वारा निर्धारित दर मान्य होगा।
3. विद्वान अधिवक्ता द्वारा कार्य सम्पन्न किये जाने के उपरांत स्वयं या प्रतिनिधि के माध्यम से मासिक स्तर पर विपत्र संबंधित शाखा को उपलब्ध कराया जाएगा।
4. कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर आपका नाम पैनल से हटा दिया जाएगा।

कृपया

विश्वाभाजन,

18/9/24

अवर सचिव,

राजस्व पर्षद, बिहार, पटना

19/09/24

राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।

सं०सं०- बि०भू०- 98/2019- 1400

प्रेषक,

अवर सचिव,
राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।

सेवा में,

मनीष कुमार,
अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय
पता- Biscauman, Ground Floor, Singh & Associates,
West Gandhi Maidan, Tower-1 Patna
मो०- 9546374996

पटना, दिनांक- 19-09-2024

विषय:- राजस्व पर्षद द्वारा गठित विद्वान अधिवक्ताओं के पैनल में शामिल किये जाने के संबंध में।

महाशय,

बेतिया राज एवं भूदान यज्ञ समिति के वादों में पैरवी हेतु दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित PR No.- 006083 (B&C) 2024-25 तथा PR No.- 007299 (Board of Revenue) 2024-25 के आलोक में गठित विद्वान अधिवक्ताओं के पैनल में आपको निम्नांकित शर्तों पर शामिल किया गया है:-

1. पर्षद द्वारा गठित अधिवक्ताओं के पैनल से किसी भी अधिवक्ता को आवश्यकतानुसार तथ्य विवरणी तैयार करने/पैरवी करने हेतु कार्य आवंटित किया जा सकता है। इस संबंध में पर्षद का निर्णय अंतिम रूप से मान्य होगा।
2. पैनल के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा बेतिया राज से संबंधित कार्य किये जाने पर बेतिया राज के मद से तथा भूदान के कार्य किये जाने पर भूदान के मद से विधि विभाग द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान किया जाएगा। जिन मामलों में विधि विभाग/वित्त विभाग द्वारा दर निर्धारित नहीं है उन मामलों में राजस्व पर्षद, बिहार द्वारा निर्धारित दर मान्य होगा।
3. विद्वान अधिवक्ता द्वारा कार्य सम्पन्न किये जाने के उपरांत स्वयं या प्रतिनिधि के माध्यम से मासिक स्तर पर विपत्र संबंधित शाखा को उपलब्ध कराया जाएगा।
4. कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर आपका नाम पैनल से हटा दिया जाएगा।

कृपया

विश्वाभाजन,

अवर सचिव,

राजस्व पर्षद, बिहार, पटना

19/09/24

राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।

सं०सं०- बि०भू०- 98/2019-1899

प्रेषक,

अवर सचिव,
राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।

सेवा में,

कुमार हर्षवर्धन,
अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय
Flat No- 103, Vishal Ganga Apartment,
West Boring Canal Road, Patna
मो०-9973334389

पटना, दिनांक- 19-09-2024

विषय:- राजस्व पर्षद द्वारा गठित विद्वान अधिवक्ताओं के पैनल में शामिल किये जाने के संबंध में।

महाशय,

बेतिया राज एवं भूदान यज्ञ समिति के वादों में पैरवी हेतु दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित PR No.- 006083 (B&C) 2024-25 तथा PR No.- 007299 (Board of Revenue) 2024-25 के आलोक में गठित विद्वान अधिवक्ताओं के पैनल में आपको निम्नांकित शर्तों पर शामिल किया गया है:-

1. पर्षद द्वारा गठित अधिवक्ताओं के पैनल से किसी भी अधिवक्ता को आवश्यकतानुसार तथ्य विवरणी तैयार करने/पैरवी करने हेतु कार्य आवंटित किया जा सकता है। इस संबंध में पर्षद का निर्णय अंतिम रूप से मान्य होगा।
2. पैनल के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा बेतिया राज से संबंधित कार्य किये जाने पर बेतिया राज के मद से तथा भूदान के कार्य किये जाने पर भूदान के मद से विधि विभाग द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान किया जाएगा। जिन मामलों में विधि विभाग/वित्त विभाग द्वारा दर निर्धारित नहीं है उन मामलों में राजस्व पर्षद, बिहार द्वारा निर्धारित दर मान्य होगा।
3. विद्वान अधिवक्ता द्वारा कार्य सम्पन्न किये जाने के उपरांत स्वयं या प्रतिनिधि के माध्यम से मासिक स्तर पर विपत्र संबंधित शाखा को उपलब्ध कराया जाएगा।
4. कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर आपका नाम पैनल से हटा दिया जाएगा।

कृपया

विश्वाभाजन

18/9/24

अवर सचिव,

राजस्व पर्षद, बिहार, पटना

19/09/24

राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।

सं०सं०- बि०भू०- 98/2019-1398

प्रेषक,

अवर सचिव,
राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।

सेवा में,

बृज बिहारी तिवारी,
अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय
पता- House No- 41 A, Indrapuri Road No. 9A,
P.O- Keshri Nagar, P.S- Patliputra, Patna Pin- 800024

पटना, दिनांक- 19-09-2024

विषय:- राजस्व पर्षद द्वारा गठित विद्वान अधिवक्ताओं के पैनल में शामिल किये जाने के संबंध में।

महाशय,

बेतिया राज एवं भूदान यज्ञ समिति के वादों में पैरवी हेतु दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित PR No.- 006083 (B&C) 2024-25 तथा PR No.- 007299 (Board of Revenue) 2024-25 के आलोक में गठित विद्वान अधिवक्ताओं के पैनल में आपको निम्नांकित शर्तों पर शामिल किया गया है:-

1. पर्षद द्वारा गठित अधिवक्ताओं के पैनल से किसी भी अधिवक्ता को आवश्यकतानुसार तथ्य विवरणी तैयार करने/पैरवी करने हेतु कार्य आवंटित किया जा सकता है। इस संबंध में पर्षद का निर्णय अंतिम रूप से मान्य होगा।
2. पैनल के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा बेतिया राज से संबंधित कार्य किये जाने पर बेतिया राज के मद से तथा भूदान के कार्य किये जाने पर भूदान के मद से विधि विभाग द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान किया जाएगा। जिन मामलों में विधि विभाग/वित्त विभाग द्वारा दर निर्धारित नहीं है उन मामलों में राजस्व पर्षद, बिहार द्वारा निर्धारित दर मान्य होगा।
3. विद्वान अधिवक्ता द्वारा कार्य सम्पन्न किये जाने के उपरांत स्वयं या प्रतिनिधि के माध्यम से मासिक स्तर पर विपत्र संबंधित शाखा को उपलब्ध कराया जाएगा।
4. कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर आपका नाम पैनल से हटा दिया जाएगा।

कृपया

विश्वाभाजन,

अवर सचिव,

राजस्व पर्षद, बिहार, पटना

19/09/24

राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।

168

सं०सं०- बि०मू०- 98/2019- 1397

प्रेषक,

अवर सचिव,
राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।

सेवा में,

कल्पना,

अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय

पता- C/O- Mrs. Gayatri Singh, Asha

Co -Operative Colony, Road No. 15E, Rajiv Nagar, Patna-24

मो०-8809362754, 9431460444

पटना, दिनांक- 19-09-2024

विषय:- राजस्व पर्षद द्वारा गठित विद्वान अधिवक्ताओं के पैनल में शामिल किये जाने के संबंध में।

महाशय,

बेतिया राज एवं भूदान यज्ञ समिति के वादों में पैरवी हेतु दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित PR No.- 006083 (B&C) 2024-25 तथा PR No.- 007299 (Board of Revenue) 2024-25 के आलोक में गठित विद्वान अधिवक्ताओं के पैनल में आपको निम्नांकित शर्तों पर शामिल किया गया है:-

1. पर्षद द्वारा गठित अधिवक्ताओं के पैनल से किसी भी अधिवक्ता को आवश्यकतानुसार तथ्य विवरणी तैयार करने/पैरवी करने हेतु कार्य आवंटित किया जा सकता है। इस संबंध में पर्षद का निर्णय अंतिम रूप से मान्य होगा।
2. पैनल के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा बेतिया राज से संबंधित कार्य किये जाने पर बेतिया राज के मद से तथा भूदान के कार्य किये जाने पर भूदान के मद से विधि विभाग द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान किया जाएगा। जिन मामलों में विधि विभाग/वित्त विभाग द्वारा दर निर्धारित नहीं है उन मामलों में राजस्व पर्षद, बिहार द्वारा निर्धारित दर मान्य होगा।
3. विद्वान अधिवक्ता द्वारा कार्य सम्पन्न किये जाने के उपरांत स्वयं या प्रतिनिधि के माध्यम से मासिक स्तर पर विपत्र संबंधित शाखा को उपलब्ध कराया जाएगा।
4. कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर आपका नाम पैनल से हटा दिया जाएगा।

कृपया

विश्वाभाजन,

18/9/24

अवर सचिव,

राजस्व पर्षद, बिहार, पटना

19/09/24